कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला –कोरबा (छ.ग.)

कमांक / मु.चि.अ. / डी.एम.एफ. / 2020 / 1556 कोरबा दिनांक 22/02/2020

/ / सूचना / /

–: डी.एम.एफ. मद से विशेषज्ञ डाक्टरों की संविदा पदों मे भर्ती हेतु प्रत्येक बुधवार को वॉक–इन इन्टरव्यु के संबंध मे सूचना बाबत:–

डी.एम.एफ. मद से विशेषज्ञ डाक्टरों के भर्ती हेतु संविदा पदों मे भर्ती जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत **वॉक–इन इन्टरव्यु, हेतु प्रत्येक बुधवार को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा** में आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ आवेदन जमा व पंजीयन की निर्धारित समय 02:00 बजे से वॉक–इन इन्टरव्यु लिये जाने हेतु आंमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित दिवस एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी नियम, शर्ते एवं आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप, जिला कोरबा के **वेबसाइट** www.korba.gov.in में उपलब्ध है जिसका अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। तथा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है जिसे देखा जा सकता है। केवल विज्ञापन मे जारी वॉक–इन इन्टरव्यु दिवस को ही संबंधित पद के विरूद्व आवेदन मान्य किये जायेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / डी.एम.एफ. / मा.सं. / 2020 / 1554 कोरबा, दिनांक 22-02-2020

विज्ञापन

जिला चिकित्सालय कोरबा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करतला / कटघोरा / पाली / पोड़ीउपरोडा कोरबा (छ.ग.) मे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए एवं चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु वॉक इन इन्टरव्यू आयोजित किया जाता है। जिसके लिये इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ **वॉक–इन इन्टरव्यु** हेतु आंमंत्रित किया जाता है।

आवेदन जमा, पंजीयन एवं इन्टरव्यु हेतु **प्रत्येक बुधवार को निर्धारित समय दोपहर 02:00 बजे** से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा मे वॉक इन इन्टरव्यु होता रहेगा। यह नियुक्ति पूर्व से निर्धारित खनिज न्यास अंतर्गत रिक्त पदो के पूर्ण होने तक ही मान्य है।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

स्वास्थ्य संस्थान, जिला / विकासखण्ड	पदनाम	रिक्त	एकमुश्त मानदेय (राशि रूपये मे)
जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु।	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	4	Negotiable Salary Starting from Rs. 1.5 Lakhs for Specialist Degree Holder and Rs. 1.00 Lakh for PG Diploma Holder
	निश्चेतना विशेषज्ञ	6	
	शिशु रोग विशेषज्ञ	4	
	मेडीसीन विशेषज्ञ	6	
	जनरल सर्जन	6	
	ई.एन.टी.	2	

टीपः– उपरोक्त विशेषज्ञों पदों का मासिक वेतन न्युनतम मासिक मानदेय रू. 1.50/- लाख एवं अधिकत्तम 2.50 लाख होगा तथा डिप्लोमाधारी का न्युनतम मासिक मानदेय रू. 70,000/- एवं अधिकत्तम 1.50 लाख एवं ई.एन.टी. हेतु 1 लाख से 1.50 लाख व डिप्लोमाधारी का न्युनतम मासिक मानदेय रू. 70,000/- एवं अधिकत्तम 1 लाख तक होगा।

नियम एवं शर्ते :–

1. विज्ञापन से संबंधित समस्त दिशा निर्देश जिले के वेबसाइट **www.korba.gov.in** में उलब्ध है।
2. उपरोक्त पदों हेतु एकमुश्त वेतन परकाम्य (Negotiable) होगी।
3. विशेषज्ञ / चिकित्सकों की डिप्लोमा / डिग्री भारतीय चिकित्सा परिषद / छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त एवं पंजीयन होना आवश्यक है।
4. चयनित विशेषज्ञ / चिकित्सकों को पदस्थापना स्थल मे नियमित तौर पर निवास कर सेवा देना होगा, अन्यथा की स्थिति मे सेवा समाप्त कर दिया जायेगा।
5. आयु सीमा दिनांक 01 / 01 / 2020 को अधिकत्तम 65 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु दसवीं, बारहवीं की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर की जावेगी, जिस हेतु अनुबंध संपादित किया जावेगा। सेवाकाल 01 वर्ष होगा जिसे दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
7. संविदा के अधीन नियुक्ति व्यक्ति को 01 वर्ष मे 18 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नही होगी।
8. पद पर नियमित नियुक्ति होने, डी.एम.एफ. की स्वीकृति/उपलब्धता न होने, संविदा अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
9. डी.एम.एफ मद की राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही वेतन का भुगतान किया जावेगा।
10. संविदा नियुक्ति नियम के अन्तर्गत सेवाकाल समाप्त होने के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर/देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. संविदा नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1985 से शासित होंगे।
12. किसी भी शासकीय सेवा निवृत्त, पेंशनधारी अधिकारी/कर्मचारी को पेंशन गणना के आधार पर नियमानुसार एकमुश्त वेतन राशि प्रदान किया जावेगा।
13. संविदा नियुक्त कर्मचारी को सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदा सेवक के रूप मे जितने अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु का लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
14. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त किये गये अधिकारी/कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन या गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में सेवा से पृथक किये जाने हेतु शासकीय पक्ष स्वतंत्र होगा।
15. इन नियमों मे नियुक्त कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रेक्टिस नही कर सकेगा। नॉन प्रेक्टिस भत्ता निश्चित एवं समेकित वेतन मे शामिल है। उन्हें नॉन प्रेक्टिस भत्ता (NPA) देय नही होगा।
16. इन नियमों के अधीन नियुक्ति व्यक्ति को किसी भी प्रकार का स्थानांन्तरण अथवा स्थान परिवर्तन के हकदार नही होगा।
17. एक माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
18. अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा। प्रमाण पत्र त्रृटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा।
19. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
20. संविदा नियुक्ति चिकित्सक/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा परीक्षण मे योग्य नही पाये जाने पर सेवा समाप्त मानी जावेगी।
21. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है।
22. उक्त पदों हेतु **वॉक इन इन्टरव्यु प्रत्येक बुधवार को दोपहर 02:00 बजे कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा** मे अभ्यार्थी स्वयं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूलप्रति एवं 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

स्व अभिप्रमाणित नवीन पासपोर्ट फोटो

आपका विज्ञापन दिनांक .... में विज्ञापित पद (पद का नाम)------------------------के लिए मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा /रही हूँ।

आवेदित पद का नाम :– : ....

1. आवेदक नाम (हिन्दी में) : ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. माता का नाम : ....
4. (अ) जन्मतिथि (अंको में) : .... (शब्दों में)..
   (ब) आयु 01 जनवरी 2020 की : वर्ष .... माह .... दिन..................................
   स्थिति में प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. जाति वर्ग) :..
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6 लिंग (महिला/पुरूष अन्य) :..

8. स्थायी पता ....
   ....
   ....
9. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
   ....
10. रोजगार कार्यालय का पंजीयन कमांक..
    /दिनांक कार्यालय का नाम ....
11. वर्तमान एवं पूर्व नौकरी का विवरण..
    यदि हो तो अनुभव का विवरण ....
    यदि हो तो।
12. क्या आवेदक विवाहित है? यदि हां/नही ....
    यदि हो तो विवाह की तिथि ....
    जीवित बच्चों की संख्या ....

13. शैक्षणित योग्यता एवं तकनीकी योग्यता ....

(सत्यापित प्रमाण पत्र) संलग्न करें

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

14 अनुभव विवरण–

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यवधि	रिमार्क

15 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची व संख्या :–

1..2..3..

4..5..6..

–: घोषणा :–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगें।

स्थान :.......................................

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :.......................................

नाम :..

पूर्ण पता :...

....